भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या **1166**

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018/5 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की मांग और आपूर्ति का आकलन करने संबंधी वर्तमान प्रणाली को परिवर्तित किया जाना**

**1166. डा॰ किरोड़ी लाल मीणाः**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों की उर्वरक मांगों का आकलन करने तथा राजस्थान सहित सभी राज्य सरकारों की जरूरतों हेतु महीने के अंत में इसकी आपूर्ति किए जाने की वर्तमान प्रणाली को परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक राज्य की जरूरतों का आकलन करने तथा एक महीने पूर्व ही उर्वरकों की आपूर्ति करने का विचार रखती है]

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये मांग की गई उर्वरक की मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा सरकार कितनी मात्रा में आपूर्ति करने पर विचार कर रही है?

**उत्‍तर**

**योजना मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(राव इन्‍द्रजीत सिंह)**

**(क) से (ग):** किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन प्रत्येक फसली मौसम (अर्थात् रबी और खरीफ) की शुरुआत से पहले किया जाता है। यह आकलन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) द्वारा आयोजित “कृषि आदान क्षेत्रीय सम्मेलन” के माध्यम से किया जाता है जिसमें उर्वरक विभाग, राज्य सरकारों के कृषि निदेशालयों, आईसीएआर, भारतीय उर्वरक संघ, अग्रणी उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिनिधि और अन्य उर्वरक उद्योग प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इन सम्मेलनों में राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रमुख उर्वरकों की अपनी अनुमानित आवश्यकता प्रस्तुत करते हैं। विस्तृत चर्चा के पश्चात् डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा प्रमुख उर्वरकों की आवश्यकता के राज्यवार आकलन को अंतिम रूप दिया जाता है। तत्पश्चात् डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा राज्यों से प्रमुख उर्वरकों की आकलित आवश्यकता का माह-वार ब्यौरा एकत्र किया जाता है और उसे उर्वरक विभाग को सम्प्रेषित किया जाता है। तदनुसार, उर्वरक विभाग मासिक आवश्यकता के ब्यौरे के अनुसार मासिक आपूर्ति योजना जारी करता है और अनुमानित आवश्यकता के अनुसार राज्य स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है। राज्‍यों के भीतर वितरण का दायित्‍व संबंधित राज्‍य सरकारों का है। आकलन को अधिक वैज्ञानिक और यथार्थ बनाने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करते समय विगत तीन वर्ष की खपत पद्धति, राज्य का अनुमानित सकल बुवाई क्षेत्र, राज्य का सिंचित क्षेत्र और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर मृदा उर्वरता आंकड़े जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

**(घ):** वर्ष 2018-19 के लिए, डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने राजस्थान सहित सभी राज्यों के लिए खरीफ 2018 की आवश्यकता का आकलन किया है। रबी 2018-19 के लिए आवश्यकता को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। राजस्थान सरकार द्वारा मांगे गए उर्वरकों की मात्रा और खरीफ 2018 के लिए राजस्थान राज्य की प्रमुख उर्वरकों की आकलित मात्रा निम्नानुसार है:

**<आंकड़े 000 मीट्रिक टन में>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **उत्पाद/उर्वरक का नाम** | **मांगी गई मात्रा** | **आकलित मात्रा** |
|  | यूरिया | 800.00 | 750.00 |
|  | डीएपी | 315.00 | 315.00 |
|  | एमओपी | 20.00 | 20.00 |
|  | एनपीके | 323.00 | 323.00 |

2018-19 के दौरान (जून, 18 तक) उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री इस प्रकार है:

**<आंकड़े 000 मीट्रिक टन में>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **उत्पाद/उर्वरक का नाम** | **आवश्यकता**  | **उपलब्धता** | **बिक्री** |
|  | यूरिया | 285.00 | 397.04 | 295.79 |
|  | डीएपी | 90.00 | 220.58 | 177.85 |
|  | एमओपी | 9.00 | 14.92 | 10.76 |
|  | एनपीके | 17.33 | 28.15 | 12.10 |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*